भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3889
दिनांक 25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंध्र प्रदेश में नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज

3889. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्री नंदीगम सुरेश:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में 13 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने में अत्यधिक विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई सरकारी अथवा निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है, के लिए प्राथमिकता सहित "मौजूदा जिला/ रेफरल अस्पतालों से संबंद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएश) संचालित करता है।

उपर्युक्त केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के चरण- III को 75 मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। पिदुगुरल्ला, पडेरू, मछलीपट्टनम, एलुरु, मरकापुरम (प्रकाशम जिला), पुलिवेंदुला (वाईएसआर कडप्पा जिला), विजयनगरम में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु सात प्रस्ताव आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे। इनमें से पिदुगुरल्ला, पडेरू और मछलीपट्टनम के तीन प्रस्ताव अनुमोदित हुए थे। इसके अतिरिक्त, सभी 75 मेडिकल कॉलेजों को पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है।

*****